भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3347
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

मध्यस्थता विधेयक

3347. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :
क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने देश में संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थता विधेयक, 2021 का मसौदा जारी किया है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मसौदा विधेयक का आशय भारत के संबंध में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित मुद्दों को सरल बनाना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी हां । विधान पूर्व परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में जनता और पणधारियों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मध्यकता विधेयक, 2021 का प्रारूप वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र का संवर्धन करने के लिए और देश में सांस्थानिक मध्यकता का संवर्धन करने के लिए पब्लिक डोमेन (www.legalaffairs.gov.in) में रख दिया गया है ।
(ग) और (घ) : वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के रूप में मध्यकता विभिन्न प्रकार के विवादों, जिसके अंतर्गत सिविल, वाणिज्यिक और कुटुंब विवाद आदि हैं, का समाधान करने के लिए एक औपचारिक, सरल, गैर-प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली अप्रोच का प्रस्ताव करता है । प्रस्तावित विधेयक मध्यकता की आनलाइन या अन्यथा विवाद समाधान की अधिमानी प्रक्रिया, घरेलू मध्यकता से संबंधित विधियों के समेकन और संशोधन के लिए और मध्यकता समझौता करार के प्रवर्तन के लिए तंत्र का उपबंध करने के लिए है ।

****